क्रम-संख्या–189

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 नवम्बर, 2025

कार्तिक 29, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

————

संख्या 620/तीन–2025-47–2(6)-93

लखनऊ, 20 नवम्बर, 2025

————

अधिसूचना

प0आ0–188

युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अर्जुनगंज फील्ड फायरिंग रेंज के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते है, जिसमें अक्टूबर, 2025 के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली और सितम्बर, 2028 के तीसवें दिवस को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए नियत कालिक रूप से खुले क्षेत्र में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास करने के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है।

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

उत्तर– ग्राम सरसवां की खसरा सं0 1017 की पश्चिमी सीमा के सुल्तानपुर रोड से कटान बिन्दु (जी०पी०एस० 26.48'3'', 80.59'07'') के खसरा सं० 708 की पश्चिमी सीमा तक तथा उक्त पश्चिम बिन्दु सीमा से खसरा सं० 750/1145 के पश्चिमी दक्षिणी कोने से खसरा सं० 818 के मिलान बिन्दु तक पुनः इस बिन्दु से खसरा सं० 1003 के दक्षिण पश्चिम कोने से खसरा सं० 1000 की दक्षिण में सीमा से खसरा सं0 999 की दक्षिण

सीमा से दक्षिण मुड़कर खसरा सं० 994 की दक्षिण सीमा से खसरा सं० 992 की पूर्वी सीमा तक पुनः दाहिने मुड़कर खसरा सं० 1049 के दक्षिणी पूर्वी कोने से गाटा सं0 991 के बिन्दु (जी०पी०एस० 26.79738,80 990504) से खसरा सं० 1076 के बिन्दु (जी०पी०एस० 26.47′47′′, 80.59′28′′) से खसरा सं० 1079 के पश्चिमी दक्षिणी कोने से होते हुए खसरा सं० 1083 की दक्षिण सीमा से खसरा सं० 1092 के बिन्दु (जी०पी०एस० 26.79′4197,80.994201) से ग्राम अहमामऊ की गाटा सं० 1211 की दक्षिण सीमा से खसरा संख्या 1216 की दक्षिण सीमा से होते हुए अमर शहीद पथ के पश्चिमी सिरे पर स्थित अहमामऊ की गाटा सं० 1250 में नियत किया गया बिन्दु जिसका जी०पी०एस० बिन्दु (26. 792284,80.996317) है।

उपरोक्त उल्लिखित गाटा संख्या 991, 1076, 1092 ग्राम सरसवां तथा गाटा सं० 1250 ग्राम अहमामऊ राजस्व नक्शे पर इस प्रकार दर्ज है तथा इनका रकबा अधिक है जिसके कारण इन्हें आंशिक रूप से दोनों क्षेत्रों में रखा गया है।

दक्षिण– ग्राम मालाक की सीमा से सटे हुए ग्राम– हरिहरपुर के खसरा सं० 397 से जाने वाली हरिहरपुर पक्के मार्ग (खसरा संख्या 386) से शहीद पथ।

पूरब– अमर शहीद पथ के पश्चिमी सिरे पर ग्राम अहमामऊ की गाटा सं० 1250 पर नियत किया गया बिन्दु जिसका जी०पी०एस० बिन्दु (26.792284, 80.996317) है।

पश्चिम– उतरठिया रेलवे लाइन व ग्राम मालाक की पूर्व सीमा व ग्राम हरिहरपुर की गाटा सं० 397 तक।

टिप्पणीः– ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्र का स्थल नक्शा कलक्टर, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

मनीष चौहान,

प्रमुख सचिव।

———

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 620/III-2025-47-2(6)-93, dated November 20, 2025 for general information.

No. 620/III-2025-47-2(6)-93

Dated Lucknow, November 20, 2025

IN exercise of the powers under sub-section (1) of Section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act no. 5 of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the below as the area of Arjunganj Field Firing Range within which, for a period of three years commencing from the 1st day of October, 2025 and ending with the 30th day of September, 2028 the carrying out, periodically, of Field Firing Artillery practice may be authorised.

SCHEDULE

DETAILS OF AREA

North - From the intersection point (GPS 26.48'3", 80.59'07") of the western boundary of Khasra no. 1017 of village Saraswan with Sultanpur Road to the western boundary of Khasra no.708 and from the said western boundary point to the south western corner of Khasra no. 750/1145 to the meeting point of Khasra no. 818, again from this point to the south western corner of Khasra no.1003 to the south western boundary of Khasra no.1000, turning south from the south western boundary of Khasra no. 999, turning south from the south western boundary of Khasra no. 994 to the eastern boundary of Khasra no. 992, again turning right from the south eastern corner of Khasra no. 1049 to the point of Gata no. 991 (GPS 26.79'738, 80.990504) to the point of Khasra no. 1076 from (GPS 26.47'47", 80.59'28") through the south western corner of Khasra no. 1079, from the south boundary of Khasra no. 1083 through the point

of Khasra no. 1092 (GPS 26.79'4197, 80.994201) through the south boundary of Khasra no. 1211 of village Ahmamau through the south boundary of Khasra no.1216 to the point fixed in Khasra no. 1250 of village Ahmamau situated on the western end of Amar Shaheed Path, whose GPS point is (26.792284, 80.996317).

The above mentioned Gata numbers 991,1076,1092 of village Saraswan and Gata number 1250 of village Ahmamau are recorded in the revenue map as follows and their area is more due to which they have been kept partially in both the areas.

South-Shaheed Path from Hariharpur Pucca Road (Khasra no.386) going from Khasra no. 397 of village Hariharpur, adjacent to the border of village Malak.

East-Village on the western end of Amar Shaheed Path the point fixed on Gata no.1250 of Ahmamau whose GPS point is (26.792284, 80.996317).

West-Upto Utrathiya Railway Line and the eastern boundary of Village Malak and Gata no. 397 of Village Hariharpur.

Note: A site plan of the area specified above may be inspected in the office of the collector, Lucknow.

By order,
MANEESH CHAUHAN,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 246 राजपत्र–2025–(757)–599+50=649 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

246_RPH_ Samanya Prasasan -2025_Data 4_